तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.7.2018	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। मामला इस प्रकार है कि मौजा - जयापुर के हल्के बैरूनी मे आ०न० 4160 रकबा 0.26 हे० चाही, आ०सं० 4643 रकबा 0.13 हे०, आ०न० 4662 रकबा 0.04 हे० आ०सं० 4663 रकबा 0.28 हे० कुल किता 4 कुल रकबा 0.71 हे० स्थित है जो वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है इसमे से आ०न० 4160 रकबा 0.26 हे० जो चाह नम्बर 4158 से पोषल होती है पर वादी का कब्जा है और वर्तमान मे गेहूं की फसल बो रखी है व चारो तरफ थोहर बाड लगा रखी है व लगभग 75 वर्ष से वादी व वादी के पिता का कब्जा चला आ रहा है। यह कि आ०न० 4160 रकबा 0.26 हे० के पूर्व नम्बर 5273 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जो वादी के पिता गफूर ने जरिये विक्रय पत्र जगनाथ पिता दयाशंकर ब्राह्मण से खरीद की जिसका बैनामा संलग्न है। इससे पूर्व यह आराजी जगनाथ के पिता दयाशंकर के नाम पर दर्ज थी लेकिन सेटलमेन्ट रेकार्ड मे यह जमीन प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम पर गलत दर्ज हो गई जिसे दुरुस्त कराया जाना आवश्यक है। यह कि वरन जमीन की	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		फोटो प्रति इससे पहले यह जमीन हमारे कब्जे कास्त में थी जिसका रिकार्ड तथा लगान की रसीदें भी वाद के साथ संलग्न है। इससे पूर्व यह जमीन चतरभुज पिता सुखदेव के नाम दर्ज थी जिसका इन्द्राज तथा इससे पूर्व जिन्सवार में वादी के पिता के नाम पर कब्जे कास्त होने का इन्द्राज मौजूद है। इन सब रेकार्ड के होते हुये रेवेन्यू कर्मचारीयो की गलती से यह जमीन नाम पर दर्ज होने से रह गई जबकि कब्जा वादी के पिता का था और अब वादी का है सम्वत 2013 से अब तक की लगान भी वादी जमा कराता है। इस प्रकार यह जमीन मेरे होते हुये प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम पर गलत दर्ज है जो दुरुस्त कराया जाना आवश्यक है इस हेतु वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार कहा किन्तु वो तैयार नही है जिससे वाद पत्र प्रस्तुत किया है। यह कि आ०न० 5273 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल नम्बर 5160 रकबा 0.26 है० जानी वादी के नाम पर दर्ज होना आवश्यक है जिसके पडौस पूर्व मे वादी स्वंय की आराजी, पश्चिम मे कृष्ण चन्द्र उलदिवा का खेत, [illegible]	

पार्टे प्रतिवादीगण को दरन दुरुस्त...
बाबत् बटा बिन्दु को तैयार नहीं
विनाय दावा दि० 15.1.2012 एवं
तत्पश्चात निरन्तर पैश हो रही है
अन्त मे वादिनी की मौजा [illegible]
की आ०नं० 4160 रकबा 0.26 हे०
प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम से
हटायी जाकर वादी के नाम पर दर्ज
किये जाने की डिग्री बहक वादी खिलाफ
प्रतिवादी पारकाई जावे। इसके बाद
पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर
प्रतिवादीगण को जरिये [illegible]
किया गया जिसमे सम्मन तामील
। उमाशंकर ने RIAD दिनांक 25.7.12
लेने से मना किया व दिनांक 12.1.2016
को जारी AD को लेने के बाद भी
हाजिर नही आया, प्रतिवादी संख्या 2
कैलाश चन्द्र को जारी नोटिस मकान
पर चस्पा किया गया जो दिनांक 7.8.13
को जारी हुआ, उसके बाद समाचार
पत्र मे प्रकाशन दिनांक 16.4.16 की
पेशी का हुआ उसमे भी हाजिर नही
आया, प्रतिवादी संख्या 3 प्रकाशचन्द
नि. RIAD नोटिस 6.9.12, 30.4.13,
12.1.2016 लेने के बाद भी हाजिर
नही आया, प्रतिवादी संख्या 4 के
वारिसान 4(1) अर्जुन ने 12.1.16
को RIAD नोटिस प्राप्त किया तथा
4(1)(11)(111) समाचार-पत्र नोटिस
पेशी दिनांक 16.4.16 के बाद भी
हाजिर नही आये। प्रतिवादी...

FORM NO. III | **APP-A CRM-I**

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत ______________________ मुकाम ______________________

______________________ बनाम ______________________

किस्म मुकदमा ______________________ नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5 कमलकान्त ने R/AD नोटिस दिनांक 25.7.2012, 6.9.12 व 30.4.13 लेने के बाद भी हाजिर नहीं आया उक्त समस्त प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक-तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र रामेश्वर उपस्थित ने पूर्व मे हाजिर होकर सभी प्रतिवादीगण की ओर से बालू के नाम फौती करने मे कोई एतराज नही बताया व आदेशिका पर अपने ओर से सहमति हस्ताक्षर किये। साक्ष्यवादी मे बालू का शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ व दस्तावेज पेश किये गये। बहस सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी का शपथ-पत्र का अवलोकन किया। विक्रय इकरार का अवलोकन किया। खसरा गिरदावरी का अवलोकन किया जिसके वादी के पिता ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ का [illegible]	

नाम ~~[illegible]~~ गलत होने के तितवाः [illegible] के नाम दर्ज हो गयी। हमने [illegible] पत्रावली का पुनः अवलोकन किया संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया की गई बहस पर मनन किया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय लिया जाता है कि मौजा कपासन प०ह० कपासन ए तहसील कपासन की आरा० खा० पा० रकबा 0.26 हे० बालु पिता गफुर जाति गुर्जर निवासी कपासन के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। अन्तिम पर्चा डिग्री जारी हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अभिषेक ग्रोवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कपासन
(जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)